बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र07–कि0आ0–11/2015 4591 खाद्य, पटना/दिनांक 13-09-17

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् Non-NFSA परिवारों का सत्यापन एवं बैंक खाता आधार सीडिंग के संबंध में ।**

महाशय,

कृपया विभागीय पत्रांक 1316 दिनांक 23.02.2016 एवं 3738 दिनांक 21.06.2016 का निदेश करना चाहेंगे। उपर्युक्त पत्र द्वारा SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत राशन कार्ड से संबंधित त्रुटियों का निराकरण कर राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ–साथ चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत निर्गत राशन कार्डो के रद्दीकरण के साथ–साथ चिन्हित लाभुकों का UIDAI से सम्बद्धता स्थापित कर आधार कार्ड पंजीकरण कराते हुए डाटा संग्रहण करने की कार्रवाई की जानी थी और उसके पश्चात् आधार Authentication कराते हुए राशन कार्डो की डाटा बेस के आधार सीडिंग की कार्रवाई की जानी थी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपर्युक्त कार्य आपके जिला में लगभग पूर्ण कर लिये होंगे। भारत सरकार द्वारा पी0डी0एस0 किरासन तेल के वितरण हेतु DBT लागू करने के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड के आधार पर किरासन तेल का वितरण कराया जा रहा है। वर्तमान में SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के फलस्वरूप NFSA लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण पूर्ववर्ती अन्त्योदय परिवार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आधार पर PHH चयनित परिवार को निर्गत राशन कार्ड के आधार पर किया जा हा है एवं इसका आधार सीडिंग भी कराया जा रहा है, लेकिन Non-NFSA (कुल SECC सर्वेक्षण के आधार पर सर्वेक्षित जनसंख्या से NFSA लाभार्थियों को हटाकर अवशेष) को नया कार्ड निर्गत नहीं किया गया। पूर्व में निर्गत ए0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड की अवधि 2017 में समाप्त हो रही है एवं बी0पी0एल0 के स्थान पर NFSA के तहत PHH राशन कार्ड निर्गत हैं। अतः किरासन तेल में DBT लागू करने के फलस्वरूप इन लाभार्थियों का भी सत्यापन, इसमें Missing Data का संकलन एवं आधार सीडिंग के साथ मोबाईल नं0 एवं बैंक खाता प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं इसकी प्रविष्टि डाटा बेस में करानी होगी। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से समय सीमा के तहत कराने की नितान्त आवश्यकता है। इसके निमित्त किये जाने वाले कार्यो की समय सीमा पूर्व में NFSA लाभार्थियों की भाँति निर्धारित करते हुए चरणबद्ध तरीके से उक्त कार्य को करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आपसे इसका अनुपालन करने की अपेक्षा रखती है।

क्र0	कार्य का नाम	समय–सीमा	क्रियान्वयन करने वाले पदाधिकारी
1	SECC के अंतर्गत पहचान किये गये परिवारों/लाभुकों में से सॉफ्टवेयर के माध्यम से Non-NFSA परिवारों/लाभुकों का डाटाबेस filter कराते हुए समेकित डाटाबेस NIC के माध्यम से तैयार करना ।	दिनांक 04.09.2017 से 07.09.2017 तक	D.I.O & D.S.O
2	सत्यापन एवं डाटा संग्रहण हेतु राशन कार्ड आधारित विहित प्रपत्र की छपाई ।	दिनांक 08.09.2017 से 13.09.2017 तक	D.I.O & D.S.O
3	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का final SQL डाटाबेस (RC 01, RC 02) का बैकअप DVD/ Hard Disk में जिला द्वारा विभाग में जमा करना।	दिनांक 13.09.2017 से 15.09.2017 तक	D.S.O & D.I.O
4	(क) सत्यापन एवं डाटा संग्रहण प्रपत्र में Non-NFSA परिवारों/लाभुकों को चिन्हित करना (विहित प्रपत्र के अभ्युक्ति में अपात्रता के कारण को दर्शाया जाना आवश्यक है) । (ख) विहित प्रपत्र में आधार कार्ड तथा बैंक खाता संख्या का संग्रहण (आधार कार्ड तथा बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ जिसपर खाता संख्या लिखा हो का छायाप्रति) किया जाना।	दिनांक 13.09.2017 से 07.10.2017 तक	D.S.O, S.D.O, B.D.O, M.O, B.S.O & Block level Verification staff.
5	विभाग द्वारा चयनित भेंडर के माध्यम से जिला स्तर पर संग्रहित प्रपत्र से –(क) डाटा संग्रहण के उपरांत प्रपत्र में भरी गई प्रविष्टियों का मिलान संलग्न छायाप्रति के साथ किये जाने का कार्य । (ख) डाटा का अद्यतन एवं आधार, बैंक खाता संख्या, बैक का नाम, मोबाईल नं0 आदि का प्रविष्टि का कार्य । प्रविष्टि के समय विहित प्रपत्र को स्केन कर सॉफ्ट कॉपी में save कर फाईल बना लिया जाय । (ग) प्रविष्टि कार्य के उपरांत check list print कराकर मूल संग्रहित प्रपत्र से मिलान प्रखंड स्तरीय कर्मियों द्वारा किया जाना। (घ) मिलान के उपरांत पाये गये अशुद्धियों को भेंडर द्वारा पुनः Softwarc के माध्यम से अद्यतन किया जाना ।	दिनांक 03.10.2017 से 22.10.2017 तक	नामित एजेंसी, DSO, SDO, MO, BSO तथा प्रखंड स्तरीय कर्मी
6	संग्रहित आधार संख्या का Authentication का कार्य चयनित ऐजेंसी या अन्य माध्यम से कराते हुए डाटा बेस में गलत अथवा सही आधार संख्या, बैंक खात संख्या को चिन्हित करते हुए अद्यतन किया जाना एवं Non-NFSA के समेकित डाटा बेस को विभाग को उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक 20.10.2017 से 25.10.2017 तक	नामित एजेंसी/ UIDAI/NIC

उपरोक्त में निम्नलिखित कार्रवाई करते हुए विहित प्रपत्र I से IV में प्रतिवेदन संकलित की जाय :–

1. जाँच दल के गठन में पंचायत सचिव/हल्का कर्मचारी/टोला सेवक/विकास मित्र/आंगनबाड़ी सेविका/किसान सलाहकार इत्यादि कर्मियों की सेवा ली जा सकती है। गठित जाँच दल के कार्यो का अनुश्रवण हेतु पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को भी लगाया जाय।

2. प्रपत्र की छपाई जिलों के लिए निर्धारित चुनाव दर या अन्य कोई दर यदि पूर्व से जिलों में निर्धारित हो तो, वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए करायी जा सकती है। प्रपत्र छपाई के लिए राशि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।

3. तकनीकी सहयोग जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 देंगे।

4. डाटा सत्यापन हेतु प्रिंट कराये गये राजस्व ग्रामवार पंजी को डाटा सत्यापन कराने के पश्चात् डाटा तैयार करने हेतु संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को Co-ordinator (समन्वयक) बनाया जाय। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे डाटा सत्यापन के पश्चात् ग्रामवार पंजियों को प्राप्त कर सत्यापनोपरांत डाटा को विभागीय प्रपत्र I और II में संकलित कर प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँ ।

5. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्यापनोपरांत ग्रामवार प्राप्त डाटा पंजी को उपलब्ध कराये गये विभागीय अलमीरा में सुरक्षित रखेंगे तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आदेश से ग्रामवार डाटा पंजी को प्रविष्टि एवं अद्यतन करने हेतु नामित भेंडर को उपलब्ध करायेंगे । नामित भेंडर द्वारा प्रविष्टि कार्य के पश्चात् उपरोक्त पंजी को प्राप्त कर पुनः सुरक्षित रखा जाएगा ।

6. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सत्यापनोपरांत डाटा पंजी से अपात्र परिवारों को चिन्हित कर उसका प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे, जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित अपात्र व्यक्ति को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।

7. अनुमंडल पदाधिकारी SECC डाटा के सत्यापनोपरांत अपात्र परिवारों का राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई करेंगे और प्रतिवेदन प्रपत्र III में संकलित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे । जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुमंडलों से प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर विभाग को उपलब्ध कराएँगे ।

8. जिला आपूर्ति पदाधिकारी सभी कार्यों का पर्यवेक्षण कर सभी समेकित प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9. संग्रहित डाटा की प्रविष्टि एवं अद्यतीकरण, आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नं0– एवं अन्य जानकारी यथा चेकलिस्ट प्रिंटिग, विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करने हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं होस्टिंग करने का कार्य किया जाएगा ।

कृपया उपर्युक्त निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

13/9/2017

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कि0आ0–11/2015 4591 खाद्य, पटना/दिनांक 13-09-17

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/9/2017

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र07–कि0आ0–11/2015 4591 खाद्य, पटना/दिनांक 13-09-17

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/9/17

सरकार के सचिव।

D:\M_2016\Sec 7\Ration.doc